बरही पुलिस ने की कार्यवाही, सतना पहुंचाने ले जा रहे थे 4.30 लाख का गांजा

कार से ले जा रहे थे गांजा की खेप, 43 किलो जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

बरही पुलिस ने दो तस्करों को गांजे की खेप लेकर जाते हुए रंगे हाथों दबोचा है। दोनों तस्करों के पास से लगभग साढे चार लाख रुपए कीमत का गांजा और एक लग्जरी कर बरामद की है। आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस तस्करी से जुड़े अन्य रहस्यों को सुलझाने में जुट गई है।

रविवार की रात बरही थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव जब थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे इस दौरान उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई की बड़े पैमाने पर गांजे की खेप लेकर चलाई जा रही है। सूचना मिलते ही उन्होंने इस बात की सूचना एसडीओपी विजयराघौगढ़ केपी सिंह को प्रदान की।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी श्री सिंह ने इसकी सूचना एसपी अभिजीत कुमार रंजन को प्रदान की। एसपी श्रीरंजन के निर्देश पर विजयराघवगढ़ एसडीओपी श्री सिंह ने बरही थाना प्रभारी के

नेतृत्व में तस्करों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम गठित की।

इन तस्करों की हुई गिरफ्तारी

गांजा तस्करी की सूचना मिलने के बाद पुलिस में तस्करों को पकड़ने के लिए हरतला नाका पुलिया के पास घेराबंदी करते हुए तेज रफ्तार से जा रही कार क्रमांक एमपी 19 सीसी 7982 को रोक कर जब उसकी तलाशी ली, तो कार के अंदर 4 लाख 30 हजार रुपए कीमत का 43 किलो गांजा रखा हुआ मिला। गांजा तस्करी करते हुए पकड़े गए सतना जिले के अमोध नई बस्ती निवासी 32 वर्षीय धीरेंद्र कुमार अहिरवार पिता मुन्ना प्रशाद एवं श्रीनगर थाना क्षेत्र के सिंहपुर जिला सतना निवासी 22 वर्षीय कृष्ण कुमार उर्फ विपिन कुमार अहिरवार ने पूछताछ में बताया की वे लोग गांजे की खेप सतना जिले लेकर जा रहे थे।

कार सहित गांजा किया जब्त

पकड़े गए उक्त दोनों आरोपियों से लगभग साढ़े चार लाख का गांजा और 5 लाख की लग्जरी कार बरामद करते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस के द्वारा गांजा तस्करी से जुड़ी अन्य कड़ियों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है

कार्यवाही में इनकी रही भूमिका

कार्यवाही में थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह यादव , चौकी प्रभारी उप निरी केके पटेल उप निरी. विनोद कांत सिंह , उप निरी शैलेंद्र सिंह सेंगर , सउनि महेश प्रताप सिंह, सउनि दिनेश प्रसाद गौतम, प्र आर. अजय पाठक, प्रआर उदय,आर विवेक श्रीवास्तव ,आर अवधेश प्रताप सिंह ,आर गिरिवर सिंह की मुख्य भूमिका रही।

खबर संक्षेप

अधिकारियों ने निजी नर्सिंग होम्स में पहुंचकर की जांच

कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिले के 31 प्राईवेट नर्सिंग होम से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के प्रोटोकाल के तहत निपटान व्यवस्था का जायजा लेने गठित अधिकारियों के संयुक्त दल ने सोमवार से निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। ओम शांति हॉस्पिटल कटनी, वर्धमान हॉस्पिटल, शारदा हॉस्पिटल में नायब तहसीलदार शिवभूषण सिंह और डॉ शैलेन्द्र दीवान ने पहुंचकर बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन प्रक्रिया की जांच की। वहीं तहसीलदार बी.के.मिश्रा ने श्री हास्पिटल बरगवां, और मदर एंड चाईल्ड केयर हॉस्पिटल डन कॉलोनी एवं स्टार रिकवरी नर्सिंग होम सहित जी.डी मेमोरियल हॉस्पिटल बरगवां डन कॉलोनी व जी.जी नर्सिंग होम अपेक्स हॉस्पिटल बरगवां, पुष्पांजली नर्सिंग होम के बायोमेडिकल वेस्ट का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार नायब तहसीलदार आकाशदीप नामदेव ने धर्मलोक हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट का निरीक्षण किया । वहीं नायब तहसीलदार अजीत तिवारी ने गौरी हास्पिटल और नव जीवन हॉस्पिटल सहित एम.जीएम हॉस्पिटल के बायो मेडिकल वेस्ट का निरीक्षण किया।

रोगी कल्याण समिति की बैठक आज होगी

कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद की अध्यक्षता मे 2 जुलाई को शाम 5 बजे से जिला चिकित्सालय के एमसीएच बिल्डिंग के तृतीय तल मे रोगी कल्याण समिति के कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक मे रोगी कल्याण समिति की पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण व की गई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। जिला चिकित्सालय कटनी के मातृ कल्याण सेवाओं और आपदा प्रबंधन कार्ययोजना पर भी चर्चा होगी।

लोककल्याण शिविर का आयोजन 3 को

कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर ग्राम पंचायत हरदुआ के ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण हेतु बुधवार 3 जुलाई को प्रातः 11 बजे से लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया जायेगा। कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर लोक कल्याण शिविर में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगों के प्रमाण पत्र भी बनाये जाएगें। इसके अलावा शिविर में तहसीलदार कटनी, सीईओ जनपद पंचायत कटनी, बीएमओ कन्हवारा, बीईओ व बीआरसी कटनी, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास कटनी ग्रामीण, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, पशु चिकित्सा अधिकारी, एस.ए.डी.ओ कृषि, रेंजर और कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, एस.डीओ पी.एच.ई, जल संसाधन, आर ई.एस व लोकनिर्माण विभाग और सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक, उद्योग निरीक्षक, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं और परियोजना अधिकारी उद्यानिकी को लोक कल्याण शिविर में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए है।

रेत खदानों में खनन कार्य किया प्रतिबंधित

कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद ने भारतीय मौसम विज्ञान के आंकडों के आधार पर मध्यप्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरूआत और वापसी सामान्य अवधि 1 अक्टूबर तक की अवधि में जिले में संचालित समस्त रेत खदानों में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के आदेशानुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी जारी गाईडलाइन अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान के आंकडों के आधार पर मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरूआत और वापसी की सामान्य अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जिला कलेक्टर जिले में नदी रेत खनन पर रोक लगाने के संबंध मे वर्षा ऋतु के काल मे स्थानीय मौसम संबंधी परिवर्तनों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर सकते है।

मतदाता सूची तैयार करने अपील अधिकारी नियुक्त

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

जिले के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकाय, नगर पालिक निगम कटनी और नगर परिषद बरही, कैमोर एवं विजयराघवगढ़ की फोटोयुक्त मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 जनवरी की स्थिति में किया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन अवि प्रसाद ने नगरीय निकायों की मतदाता सूची तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और अपील प्राधिकारी पदाभिहित नियुक्त किया है।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेशानुसार नगरपालिक निगम कटनी क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त वार्ड क्रमांक 1 से 10 हेतु तहसीलदार, वार्ड क्रमांक 11 से 20 तक श्री चंद्रसिंह सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, वार्ड क्रमांक 21 से 30 तक नायब तहसीलदार मझगवां, और वार्ड क्रमांक 31 से 45 तक

अधिकारियों को सौंपे गए कार्य दायित्व

नायब तहसीलदार कन्हवारा को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। जबकि अपील प्राधिकारी के संपादन हेतु अपर कलेक्टर कटनी को पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किया है। जबकि नगर परिषद विजयराघवगढ हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील विजयराघवगढ़, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचयत, नगर परिषद कैमोर हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नायब तहसीलदार सिनगौडी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचयत तथा नगर परिषद बरही हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार बरही तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नायब तहसीलदार को नियुक्त किया गया है। जबकि अपील प्राधिकारी के संपादन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयराघवगढ़ को पदाभिहित अधिकारी का दायित्व सौपा गया है।

कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच करा दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटोले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता, नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना उजागर हुई है।

इस घोटाले में मध्यप्रदेश के छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नर्सिंग घोटाले में

प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल की घटनाएं उजागर हुई हैं, जिसके लिए मंत्री विश्वास सारंग सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री आज भी अपने पद पर काबिज हैं।

नर्सिंग कॉलेज घोटाले में चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरबडे सहित कई अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों सहित आम जनता में नाराजगी है। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण सिंह चौहान, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष मिथलेश जैन, पूर्व विधायक सौरभ सिंह, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर गुमान सिंह, जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष पंकज गौतम, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष रजनी वर्मा, कांग्रेस नेता राकेश जैन, कांग्रेस नेता शिवकुमार यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमल पांडे मौजूद रहे।

महापौर ने कहा विकास कार्य में गुणवत्ता का रखें ध्यान

महाराणा प्रताप वार्ड अमकुही में चल रहे रोड डामरीकरण कार्य का महापौर प्रीति संजीव सूरी द्वारा निरीक्षण किया गया ।निरीक्षण में महापौर द्वारा संबंधित ठेकेदार एवं उपयंत्री से किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समय सीमा की जानकारी लेते हुए संबंधित ठेकेदार को निर्देश देते हुए कहा की विकास कार्य में गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। संबंधित उपयंत्री समय समय में निरीक्षण कर मटेरियल एवं किए जा रहे कार्यों की जाँच अवश्य करें। ज्ञात हो की उक्त कार्य काफी समय से अधूरा पड़ा था जिसे महापोर ने स्थानीय निवासियों से किए वादों को निभा कर उक्त कार्य को चालू कराया इस दौरान एमआईसी सदस्य सुभाष साहू, डॉ रमेश सोनी, शशिकांत तिवारी, पूर्व ज़िलाध्यक्ष रामचंद्र तिवारी, पार्षद शकुंतला सोनी, सीमा श्रीवास्तव, सुरेंद्र गुप्ता सहित स्थानीय जनों की उपस्थिति रही।

महापौर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक में कई विषयों पर हुई चर्चा

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

सोमवार को महापौर प्रीति संजीव सूरी की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में जलप्रदाय विभाग के दैनिक वेतन कलेक्टर रेट्स पर 13 कुशल श्रमिकों की स्वीकृति] सड़क बत्ती मरम्मत कार्य हेतु 9 श्रमिकों को कलेक्टर दर पर रखे जाने की स्वीकृति, योजना क्र.6 नगर सुधार न्यास के अन्तर्गत झिंझरी कलेक्टर कार्यालय के सामने नव निर्मित काम्प्लेक्स में दुकान/ हॉल की नीलामी के संबंध इत्यादि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई साथ ही अन्य विषयों में नगर पालिक निगम कटनी

क्षेत्र में जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में एमआईसी सदस्य सुभाष साहू, डॉ रमेश सोनी, अवकाश जायसवाल, जयनारायण निषाद, सुमन राजू माखीजा, तुलसा गुलाब बेन, बीना बैनर्जी, शशिकांत तिवारी, उपायुक्त पी.के अहिरवार, कार्यपालन यंत्री के.पी.शर्मा, राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, प्र सहा.यंत्री आदेश जैन, सुनील सिंह] उपयंत्री अश्वनी पांडेय, मृदुल श्रीवास्तव, मोना करेरा की उपस्थिति रही।

तिलक कॉलेज में दीक्षारंभ समारोह हुआ प्रारंभ

सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित कर पूरी ईमानदारी के साथ करें मेहनत

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रुप में घोषित शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कटनी में 1 जुलाई को से दीक्षारंभ समारोह प्रारंभ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि प्रफुल्ल कुमार सोनी, जिला समन्वयक, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज, हरिद्वार जिला कटनी रहे।

सर्वप्रथम विद्यादायिनी माँ सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात नव प्रवेशित विद्यार्थियों एवं अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। स्वागत भाषण में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस. के खरे ने दीक्षारंभ कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नव प्रवेशित विद्यार्थियों को लगन एवं परिश्रम से अध्ययन करने के लिए कहा, इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। भौतिक शास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. संतोष कुमार सिंह ने महाविद्यालय के इतिहास, उसके लक्ष्य और संकल्प से विद्यार्थियो को परिचित कराया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्राध्यापक अशोक श्रीवास्तव ने पुस्तकों के अध्ययन पर बल दिया तथा उन्होंने विद्यार्थियों को सावधान करते हुए कहा कि व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं की जॉच अवश्य करें।

मुख्य अतिथि श्री सोनी ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने प्राचीन गुरूकुल परम्परा के मूल्यों का वर्णन किया, जहाँ शिष्यों को ज्ञान के साथ-साथ संस्कार भी प्राप्त होते थे। अंग्रेजी की प्राध्यापक डॉ. नाहीद सिद्दीकी ने महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ का परिचय दिया। कार्यक्रम संयोजक राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक डॉ. के.पी.मिश्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम, बहु आगमन एवं निर्गमन, बहु संकायी अध्ययन, योग्यता संबर्धन पाठ्यक्रम, व्यावसायिक विषय भारतीय ज्ञान परम्परा के समावेश से परिचित कराया। अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक सुनील कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में नव प्रवेषित विद्यार्थियों को वरिष्ठ विद्यार्थियों से परिचय कराया। महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी डॉ. राजकुमार ने विद्यार्थियों को महाविद्यालय में उपलब्ध खेल के बारे में विस्तार से जानकारी नव प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रदान की गई एवं खेल के महत्व को समझाया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. माधुरी गर्ग द्वारा किया गया। अंत में आभार प्रदर्शन अतुल कुमार सहा. प्राध्यापक हिन्दी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ-साथ महाविद्यालय स्टाफ मौजूद रहा

बड़वारा में भारत निर्माण कोचिंग का हुआ शुभारंभ

प्रतिभावान युवाओं के स्वर्णिम भविष्य की राह हुई आसान

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

बड़वारा के किसी भी प्रतिभावान युवा के स्वर्णिम भविष्य निर्माण की राह में आर्थिक कमजोरी या अन्य बाधाएं रोड़ा न बने, इसके लिए कलेक्टर अवि प्रसाद की विशेष पहल पर जिला प्रशासन द्वारा शासकीय महाविद्यालय बड़वारा में भारत निर्माण कोचिंग प्रारंभ की गई है। सोमवार को क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा उत्सवी माहौल के बीच विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी विशेष रूप से मौजूदगी रही।

विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने भारत निर्माण कोचिंग प्रारंभ करने के पीछे जिला प्रशासन और कलेक्टर श्री प्रसाद की पवित्र मंशा

के बारे में उपस्थित युवाओं को जानकारी दी। विधायक ने कहा कि युवा इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं और पूर्ण मनोयोग और लगन से तैयारी करें जिससे वे अपना मनचाहा मुकाम हासिल कर सकें।

इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे युवा

सोमवार से प्रारंभ हुई भारत निर्माण कोचिंग के माध्यम से युवाओं को एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इंस्पेक्टर, व्यापम जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। कलेक्टर अवि प्रसाद की पहल पर शुरू कराई गई इस कोचिंग में प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। जबकि रविवार को अवकाश रहेगा।

286 ने कराया पंजीयन

स्नातक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करीब 286 अभ्यर्थियों कोचिंग के लिए अपना पंजीयन करा चुके हैं। इनमें से प्रवेश क्षमता अनुसार टॉप कुल 50 बच्चों के चयन हेतु कुल 256 बच्चों द्वारा प्रवेश परीक्षा में भाग लिया गया। जो कोचिंग में विभिन्न विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रतिदिन अध्यापन सुविधा का लाभ उठाएंगे। साथ ही नोट्स, लाइब्रेरी, मासिक टेस्ट की सुविधा के साथ आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों एवम् आवेदन भरने की जानकारी भी उन्हें कोचिंग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान बिरला व्हाईट कंपनी के पदाधिकारी सहित नायब तहसीलदार अनुराधा सिंह मौजूद रहीं।

गौ तस्करी एवं अवैध पशु बाजार को बंद करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को गो तस्करी रोकने, अवैध पशु बाजार बंद करने और गोचर गोदान की भूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर जुलूस निकालकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों में गौ तस्करी चरम सीमा पर है।

कार्यवाही करने की मांग

जिले के अंदर चल रहे अवैध गौ पशु बाजार गौ तस्करी का केन्द्र बने हुए हैं। जिले के रीठी तहसील के बड़ागांव, बाकल और ढीमरखेड़ा के गनियारी गांव के ये तीनों बाजार गौ तस्करी का केन्द्र बने हुए हैं।

आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के दलाल काफी संख्या में गौवंश को कत्ल खानों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिसके कारण गौ तस्करों के हौसले बुलंद है। ज्ञापन में कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा चाका, लमतरा, जुगियाकाप, बिलहरी सहित अन्य क्षेत्रों में बाहरी लोग आकर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को शरण दी जा रही है। जिससे शहर की सुरक्षा के लिए भी खतरा बना हुआ है। ज्ञापन में जांच कराकर कार्यवाही की मांग विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने की है।

खबर संक्षेप

फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण की तैयारी प्रारंभ

कटनी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगरीय निकाय एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2024 की तैयारी हेतु प्रक्रिया एवं मतदाता सूची तैयार करनें का कार्यक्रम जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2024 की तैयारी हेतु जिला एवं विकासखेड स्तर पर 25 मास्टर ट्रेनर नियुक्त करते हुए दो जुलाई मगंलवार को अपरान्ह 2 बजे से कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार कक्ष में उपस्थित होकर खंड स्तरीय समस्त मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर को 4 जुलाई 2024 गुरूवार को नियुक्त रजिस्ट्रीकरण सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देशानुसार प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए है।

संयुक्त कलेक्टर को मिला खनिज अधिकारी का प्रभार

कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद ने संयुक्त कलेक्टर संस्कृति एम लटोरिया को अपने कार्य के साथ-साथ खनिज अधिकारी कटनी के कार्य दायित्व संपादित करने हेतु नामांकित किया है। खनिज विभाग की समस्त नस्तियां सहायक खनिज अधिकारी पवन कुशवाहा परीक्षण उपरांत प्रभारी खनिज अधिकारी संयुक्त कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विदित हो कि खनिज अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे संतोष सिंह अपनी अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए थे। कलेक्टर श्री प्रसाद ने श्री सिंह के सेवानिवृत्त होने के उपरांत किसी अन्य की पदस्थापना होने तक कार्यालयीन व्यवस्था के तहत संयुक्त कलेक्टर को खनिज अधिकारी का दायित्व निभाने हेतु नामांकित किया है।

डाक्टर्स दिवस पर बच्चों का किया स्वास्थ्य परीक्षण

कटनी। सोमवार को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस क़े अवसर पर प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ सोसायटी के तत्वाधान में राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस एवं FOGSI बालिका दिवस बड़े उत्साह के साथ आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम जमोडी में मनाया गया। इस अवसर पर बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञ त्वचा रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के सानिध्य में सभी बालिकाओं की निःशुल्क जांच की गई एवं दवाइयां वितरित की गई इसके साथ ही सोसायटी की अध्यक्ष डॉ वंदना गुप्ता ने बालिकाओं को माहवारी से संबंधित समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी तथा सेनेटरी pads वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत मे सोसायटी के द्वारा सभी बच्चों को नाश्ता फल एवं छाता वितरित किया गया। इस अवसर पर डॉ अशोक चौदह डॉ राजेंद्र गुप्ता डॉ वंदना गुप्ता डॉ ज्योत्सना निगम डॉ समीर चौधरी डॉ मनीषा साहू डॉ अमित साहू डॉ शोभित चौदह डॉ नीलम सोनी डॉ स्नेहलता चौधरी डॉ प्रसंग बजाज डॉ निधि बजाज डॉ मनीष मिश्रा आदि मौजूद रहे।

सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में करें निराकरण

प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकारा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

कलेक्ट्रेट कार्यालय के नवीन सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित समय - सीमा की बैठक में कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा सी.एम.हेल्पलाईन एवं जुलाई माह की ग्रेडिंग के लंबित प्रकरणों में नाराजगी जाहिर करते हुए सीएमएचओ, जल संसाधन विभाग, माईनिंग इंस्पेक्टर, सामजिक न्याय विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा बैठक के दौरान आयोग से प्राप्त शिकायतें और उच्च न्यायालय में लंबित एवं प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही कर जवाबदावा प्रस्तुत करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

15 दिवस में हटायें शराब दुकान

समीक्षा बैठक के दौरान तीन लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान के संचालकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लंघन कर दुकानों को पूर्व संचालित स्थल से राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थानांतरित किये जानें संबंधी शिकायत पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा 15 दिवस के अंदर दुकानों को निर्धारित स्थल पर शिफ्ट कराने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए।

कलेक्टर श्री प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सीएम घोषणाओ के संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य सभी विभाग प्रमुखों को अपने- अपने विभाग से संबंधित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर अद्यतन जानकारी से आगामी बैठक में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आदर्श ग्रामों की दें जानकारी

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले में चिन्हित 11 ग्रामों मे से 5 आदर्श ग्रामों में सर्वसुविधा केन्द्रों का चयन कर शेष विकास कार्यों को पूर्ण कराते हुए आगामी बैठक में जानकारी प्रस्तुत करनें के निर्देश जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को दिए गए।

चरनोई भूमि से हटायें अतिक्रमण

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित जनपद पंचायतों के सीईओ एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों को चरनोई की भूमि से अतिक्रमण हटानें की कार्यवाही करने तथा खसरा नंबरों की जानकारी एकत्रित करने तथा हर जनपद मे एक- एक एकड़ के गोठान बनानें की नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इन प्रकरणों की भी समीक्षा

बैठक में कलेक्टर द्वारा जिले के 526 निजी स्कूलों की जांच प्रक्रिया की समीक्षा हर दो दिवस म संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से कराने और निजी नर्सिंग होम के मेडिकल वेस्ट के निरीक्षण कार्य का पर्यवेक्षण भी एसडीएम से करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य खनिज की लेप्स खदानों के प्रकरण भोपाल प्रेषित करने, दूधी परियोजना द्वितीय चरण के लंबित प्रकरणों, एडल्स बीसीजी अभियान की प्रगति, स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन की कार्यवाही, वर्ष 2000 से 2024 तक मध्यप्रदेश शासन के विभागों के लिए अर्जित भूमियों का संबंधित विभाग के नाम भू-अभिलेख में प्रविष्टि कर प्रमाण पत्र देनें, भुड़सा एवं स्लीमनाबाद में छात्रावास हेतु जमीन का अवंटन करने, सोयायटी में खाद एवं यूरिया की आपूर्ति किये जाने, स्कूल परिसर से अतिक्रमण हटानें सहित अन्य प्रकरणों की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सी.ई.ओ शिशिर गेमावत, संयुक्त कलेक्टर संस्कृति शर्मा, डिप्टी कलेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी, विवेक गुप्ता, एस.डी.एम प्रदीप मिश्रा आदि मौजूद रहे।

सड़क हादसों में कमी लाने किये जा रहे प्रयास

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। हाईवे पर ढाबों एवं होटलों में खाना खाने वाले वाहन चालक अपने वाहन बेतरतीब तरीके से सड़क पर खड़े कर देते हैं जिससे हाईवे पर यातायात अवरुद्ध होता है साथ ही अस्त व्यस्त खड़े वाहनों के कारण सड़क दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ श्री संतोष डेहरिया व नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमति ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में यातायात हाईवे सुरक्षा चौकी जुहला बाईपास प्रभारी सूबेदार मोनिका खड़से एवं चौकी के स्टाफ द्वारा नेशनल हाईवे 43 स्थित ढाबा/होटल संचालको को ढाबे के सामने वाहन अस्त व्यस्त खड़े न होने देने की सख्त हिदायत दी गयी एवं अपने ढाबा/होटल के पास व्यवस्थित वाहन पार्किंग बनाकर बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गए । इसके साथ ही यदि कोई ढाबा/होटल संचालक द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करने पर उनके ढाबा/होटल के सामने खतरनाक तरीके से खड़े वाहन के कारण सड़क दुर्घटना होती है तो इसमे उन संचालको की भी जिम्मेदारी तय करने की सख्त हिदायत दी गयी।

न्यायालय ने सुनाया फैसला, लगाया अर्थदंड

सौतेली बेटी से दुराचार करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक महिला थाना के अपराध क्रमांक 40/2022 में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जिला द्वारा आरोपी को धारा 376 (एबी) भादंवि, धारा 5 (एल) (एन) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 3 (2) (अ) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 3(1) एससी/एसटी एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी रामनरेश गिरी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।

मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री आयु लगभग 11 वर्ष 09 माह सातवीं तक पढ़ी है। उसकी मां ने आरोपी से दूसरा विवाह किया है और अभियोक्त्री और उसकी बहन को लेकर बड़वारा में रहती है। अभियोक्त्री की मां जब अभियोक्त्री की नानी के घर इमलिया गई थी और अभियोक्त्री बड़वारा में अपने सौतेले पिता आरोपी के साथ थी। 27 अगस्त 2022 शनिवार को जब अभियोक्त्री की तबीयत ठीक न होने से वह सो रही थी। रात करीब 9 बजे उसके पिता आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती गलत काम किया और जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद रात में करीब 11:30 बजे फिर गलत काम किया। जब अभियोक्त्री की मां इतवार को लौटी तो अभियोक्त्री ने सारी बात अपनी मां को बतायी। तब अभियोक्त्री की मां अभियोक्त्री को लेकर बड़वारा अस्पताल ले गई, जहां नर्स को बताया, तब बड़वारा की पुलिस अस्पताल आई और एम्बुलंस से अभियोक्त्री को कटनी लेकर आये। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर आरोपी सौंतेले पिता के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता, पीडिता की मां तथा अन्य साक्षियों के कथन लेख किए गए। विवेचना के दौरान पीड़िता एवं पिता/आरोपी का रक्त नमूना प्रिजर्व कर डीएनए परीक्षण के लिये भेजा गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोक्त्री द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में उक्त घटना आरोपी द्वारा कारित नहीं करना एवं आरोपी सौतेले पिता को पहचानने से भी इन्कार किया है। डीएनए रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ कि अभियोक्त्री के पिता द्वारा ही अभियोक्त्री के साथ घटना कारित की गई है। उक्त वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री के सौतेले पिता को उक्त अपराध के लिये दोषी पाते हुये सजा सुनाई गई।

धूमधाम से मनाया गया श्रीजी का दीक्षा दिवस

श्री 1008 शांति विद्यासागर महाराज रात्रिकालीन पाठशाला रूंगटा कॉलोनी द्वारा आचार्यश्री 108 विद्यासागर महाराज का दीक्षा दिवस बड़ी धूमधाम एवं श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया हैं इस अवसर पर पाठशाला के बालक–बालिकाओं ने प्रभात फेरी निकालकर आचार्य श्री जी के संदेश इंडिया नहीं भारत कहो स्वदेशी बनो एवं प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश देते हुये श्री 1008 पार्श्वनाथ दिग.जैन बड़े मंदिर के बालक–बालिकाओं द्वारा आचार्य श्रीजी के पूजन के साथ आरती की गई। इस अवसर पर मंजू दीदी, शिवी दीदी, रूची दीदी, शिमला जैन, ज्योति जैन, रूची जैन, दीप्ति जैन, माया जैन के साथ बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाऍं उपस्थित रहें नगर के सभी जैन मंदिरों में आचार्य श्रीजी की विशेष पूजा की गई।

क्षतिग्रस्त सड़क को प्राथमिकता के साथ मरम्मत करने के दिये निर्देश

महापौर ने सुनी समस्याएं, जर्जर सड़क देखकर अधिकारियों को लगाई फटकार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

इंदिरा गांधी वार्ड के शिव नगर में सीवेज कार्य के दौरान डब्लूबीएम रोड के जर्जर होने के कारण वार्ड वासियों को वर्षा से आ रही अत्यधिक समस्याओं को लेकर महापौर प्रीति संजीव सूरी द्वारा उक्त स्थल पहुँच क्षतिग्रस्त रोड़ का निरीक्षण कर संबंधित सीवेज कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूर्व की भांति डब्लूबीएम रोड बनाते हुए आवागमन हेतु सुलभ बनाने के सख़्त निर्देश दिये] साथ ही सीवेज से क्षतिग्रस्त ऐसे स्थल अथवा रोड को चिन्हित कर जहां दुर्घटना होने की संभावना है वहाँ प्राथमिकता के साथ वैकल्पिक व्यवस्था, मरम्मत कार्य कराने के निर्देश भी दिये ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने स्थानीय निवासियों से कहा कि रोड को बैठक लेने के बाद डामरीकरण कराया जायेगा।

इस दौरान स्थानीय पार्षद ओमप्रकाश बल्ली सोनी, एमआईसी सदस्य सुभाष साहू, डॉ रमेश सोनी, पार्षद शकुंतला सोनी, सीमा श्रीवास्तव, सुरेंद्र गुप्ता, उपयंत्री अश्वनी पांडेय एवं स्थानीय जनों की उपस्थिति रही।

तीन साल पहले हुई थी हत्या, जुर्माना से भी किया गया दंडित

हत्या के तीन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजयराघवगढ़ की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र गर्ग ने बताया कि थाना विजयराघवगढ़ के चिह्नित जघन्य सनसनीखेज के अपराध क्रमांक 307/2021, आरोपी मोहम्मद अरबाज पिता मोहम्मद अनस उर्फ लल्लू उर्फ कबाड़ी, 20 वर्ष, निवासी तिलक कॉलेज के पास प्रेमनगर, थाना एनकेजे, दानिश अली पिता असरत अली 22 वर्ष, निवासी ग्राम बरगंवा चंदी की दफाई वंशरूप वार्ड थाना रंगनाथ नगर, विनय छबार उर्फ रेहान पिता छोटेलाल छबार 23 वर्ष निवासी प्रेमनगर थाना एनकेजे द्वारा धीरेन्द्र पाण्डेय की हत्या करने के आरोप में सभी को धारा 302, 201, 120बी, 397, 34 भादंवि एवं धारा 25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुये तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजयराघवगढ़ के.एन.अहिरवार द्वारा घोषित अपने निर्णय में आरोपी 1.मोहम्मद अरबाज एवं 2.दानिश अली को धारा 302, 120बी भादंवि में आजीवन कारावास एवं 25,000-25,000 रूपए अर्थदण्ड, धारा 201, 34 भादवि एवं 25(1.-बी)(बी) आयुध अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 11,000-11,000 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 397, 34 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आरोपी विनय छबार को धारा 302, 120बी भादंवि में आजीवन कारावास एवं 25, 000 रूपए अर्थदण्ड, धारा 201,34 भादंवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 10, 000 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 397, 34 भादंवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा एवं अपर लोक अभियोजक नारायण तिवारी के द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 30 जुलाई 2021 को ग्राम चपना हथेड़ा के बीच एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। मृतक के भतीजे विवेक पांडेय ने शव को अपने चाचा धीरेन्द्र पांडेय के रूप में पहचान की।

जांच के दौरान संदेह के आधार पर अरबाज से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके दोस्त विनय छबार उर्फ रेहान ने मृतक धीरेन्द्र पांडे को लूटने एवं जान से मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार 29 जुलाई 2021 की शाम लगभग 07 बजे धीरेन्द्र पांडे को फोन लगाकर बताया की उसका चोरी का सामान मिल गया है आ जाओ। धीरेन्द्र पांडे अपनी कार से आया और आरोपीगण उसके साथ बैठ कर ओएफके गुरुद्वारा के आगे छपरवाह घाट के पास गये। वहां पहुंचकर आरोपी विनय छबार ने धीरेन्द्र पांडे के गले में गमछा डालकर कस लिया, तभी आरोपी दानिश अली ने चाकू से धीरेन्द्र पांडे के सीने पर बार किया। धीरेन्द्र पांडे को कार में तड़प कर कार से बाहर भागने लगा तो आरोपी मो. अरबाज ने बटन दार चाकू से उसका पीछा करके उसके पेट में चाकू मारा। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।

नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन

भारतीय न्याय प्रणाली को अंग्रेजों के बनाए कानून से मिली मुक्ति

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

देशभर में 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS),क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो चुका है। नए कानूनों के लागू होने को लेकर ढीमरखेड़ा पुलिस भी पूरी तरह तैयार है। ढीमरखेड़ा थाना प्रभारी मोहम्मद शाहिद खान का कहना है कि इन तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित कर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। नए कानून लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली आईपीसी के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए औपनिवेशिक कानूनों से मुक्त हो चुकी है। ये कानून दंड नहीं बल्कि न्याय में केन्द्रित है।

देशभर में आज (1 जुलाई) से लागू नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर ढीमरखेड़ा पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। इस अवसर पर सभी पुलिस थाना क्षेत्रों और जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर नए कानूनों का क्रियान्वयन किया जाएगा। कार्यक्रम में वहां के पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि सहित जिले के बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। कुछ स्थानों पर पुलिसकर्मियों ने ढोल-नगाड़े से भी स्वागत की तैयारी की है। थाना क्षेत्र में किसी भी उपयुक्त जगह पर कार्यक्रम होगा। इसमें सेवानिवृत पुलिस अधिकारियों, महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थितजन को नए कानूनों के बारे में जागरूक किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नए कानूनों के संबंध में प्रदेशभर में 60 हजार से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। उन्हें बदलावों के संबंध में बताया गया है। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर में किस तरह से एंट्री की जानी है, साक्ष्य कैसे एकत्र किए जाने हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में भी पुलिसकर्मियों को जानकारी दी गई है। प्रदेश पुलिस ने 31 हजार से अधिक विवेचकों को प्रशिक्षित किया है। इसके साथ ही सीसीटीएनएस में भी नए कानूनों से संबंधित बदलाव कर लिए गए हैं, जो 30 जून की रात 12 बजे से प्रभावी हो चुके हैं। सभी जिलों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) का संचालन करने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को भी बताया गया है कि वह दैनिक रिपोर्ट सीसीटीएनएस में किस तरह अंकित करें।

नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं।प्रस्तावित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पहला अध्याय अब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित सजा के प्रावधानों से संबंधित है। इन प्रावधानों के अनुसार जहां बच्चों से अपराध करवाना व उन्हें आपराधिक कृत्य में शामिल करना दंडनीय अपराध होगा वहीं नाबालिग बच्चों की खरीद-फरोख्त जघन्य अपराधों में शामिल की जाएगी। नाबालिग से गैंगरेप किए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। नए कानूनों के अनुसार पीड़ित का अभिभावक की उपस्थिति में ही बयान दर्ज किया जा सकेगा। इसी प्रकार नए कानूनों में महिला अपराधों के संबंध में अत्यंत सख्ती बरती गई है। इसके तहत महिला से गैंगरेप में 20 साल की सजा और आजीवन कारावास, यौन संबंध के लिए झूठे वादे करना या पहचान छिपाना भी अब अपराध होगा। साथ ही पीड़िता के घर पर महिला अधिकारी की मौजूदगी में ही बयान दर्ज करने का भी प्रावधान है। इस प्रकार नए कानून में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध घटित करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कड़ी सजा के प्रावधान हैं।

अदालतों में पेश और स्वीकार्य साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल, उपकरणों के मैजेस को शामिल किया गया है। केस डायरी, एफआईआर, आरोप पत्र और फैसले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये भी न्यायालयों में पेशी हो सकेगी। अब 60 दिन के भीतर आरोप तय होंगे और मुकदमा समाप्त होने के 45 दिन में निर्णय देना होगा। वहीं सिविल सेवकों के खिलाफ मामलों में 120 दिन में निर्णय अनिवार्य होगा।

नशे में धुत्त चालक ने बोलेरो को मारी टक्कर

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

कोतवाली थाना अंतर्गत खिरहनी फाटक ओवरब्रिज में एक एंबुलेंस चालक ने बुलेरो वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। बोलेरो वाहन को टक्कर मारते हुए एंबुलेंस चालक ने अन्य वाहन चालको को भी टक्कर मार कर घायल कर दिया। यह घटना रविवार देर शाम खिरहनी ओवर ब्रिज पर हुई। हादसे में एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई है जिसे इलाज के लिए शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार गर्ग चौराहा ओवर ब्रिज पर नशे से चूर एंबुलेंस चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सीधे बोलेरो वाहन मे जोरदार टक्कर मार दी। साथ ही अन्य वाहन चालक भी घटना में घायल हुए हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा घायलो को जिला अस्पताल मे कराया भर्ती। जहां उनका उपचार चल रहा है

खबर संक्षेप

गर्भावस्था में खतरे की पहचान के लिए आज स्वास्थ्य संस्थाओं में लगेगा विशेष स्वास्थ्य-जांच शिविर

दमोह। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सरोजनी जेम्स बेक ने बताया जच्चा-बच्चा की जीवन रक्षा के लिए गर्भावस्था दौरान होने वाली समस्याओं के संकेतो और लक्षणों की पहचान एवं समुचित प्रबंधन के लिए आज 02 जुलाई को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिला चिकित्सालय, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच-क्लीनिक लगाये जा रहे है। डॉ. बेक ने गर्भवती महिलाओं-परिजनों से आग्रह किया है कि प्रसव पूर्व चिकित्सीय जांच हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर गर्भवती की जांच अवश्य करवायें। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रीता चटर्जी ने बताया कि गर्भवती महिला का संबंधित संस्था के चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण-परामर्श अनुसार दैनिक जाचें की जायेंगी। इसके लिए माईक्रोप्लान तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय के निकट ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अंतर्गत सेक्टर में आने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पंजीकृत महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच चिकित्सक द्वारा की जायेगी।

शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांग को पहुंचाया अनाथाश्रम

पन्ना। कोतवाली अंतर्गत कुंजवन में काफी समय से रह रहे अनिल देवनाथ उम्र लगभग 45 वर्ष कुछ समय से बीमार चल रहा था, शारीरिक दिव्यांगता की वजह से वह चल भी नहीं पता था और मानसिक दिव्यांगता के कारण वह कोई व्यवसाय भी नहीं कर पा रहा था, जो भी स्थानीय लोग उसे देते वह उसी में गुजारा कर रहा था, जिस वन विभाग की पुरानी चौकी में वह रहता था वह भी काफी जर्जर हो चुकी थी।

नोनपानी के शाला प्रधानाध्यापक कक्ष की हालत वर्तमान मे बेहद खराब है

प्राथमिक शिक्षक एक वर्ष से लापता बरसात का पानी भर रहा कक्षों में

हरिभूमि न्यूज ▶▶ हिण्डोरिया

आदिवासी आबादी बाहुल्य ग्राम नोनपानी के शासकीय नवीन माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक कक्ष पूर्व मे किये गये घटिया निर्माण के चलते वर्तमान में बेहद जर्जर अवस्था में पहुंच गया है । परिणामस्वरूप शाला के प्रधानाध्यापक की बैठक व्यवस्था हेतु नव निर्मित कक्ष आज औचित्यहीन साबित हो रहा है। इसके अलावा उक्त शाला में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक पिछले एक साल से अधिक समय से बिना किसी सूचना के गायब है। जिससे शाला का शैक्षणिक कार्य प्रतिदिन जबरदस्त प्रभावित हो रहा है।उक्त मामले में शिक्षा विभाग दमोह एवं विभाग के सभी जबाबदारों को पूरी जानकारी होने के बाद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं आज तक नही की जा रही है।

प्राप्त जानकारी मे ज्ञात हुआ है कि 6 -7 वर्ष पूर्व वर्ष 2015 मे लगभग 03 लाख रुपये की लागत से निर्मित उक्त प्रधानाध्यापक कक्ष की छज्जा पूरी तरह से खराब होने हो गई है। सीमेंट दीवारों से जगह जगह से निकल रहा है। वर्तमान में बरसाती पानी कक्ष मे लबालब भरा हुआ है। दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। कुल मिलाकर ये कक्ष वर्तमान मे औचित्यहीन साबित हो रहा है । लोगों ने बताया कि निर्माण के बाद से उक्त प्रधानाध्यापक कक्ष का स्कूल प्रबंधन द्वारा मुश्किल से दो-तीन साल ही उपयोग किया गया होगा। उक्त शाला मे वर्ष 2013 में पदस्थ हुये प्राथमिक शिक्षक राकेश तिवारी (निवासी- पंचायत लुहर्रा) वर्तमान में 10 जून 2023 से शाला से सतत बिना एक वर्ष से अधिक समय से लापता है। इस बारे मे शाला के प्रधानाध्यापक प्रेम सिंह आदिवासी ने बताया कि मेरे व्दारा उक्त लापता शिक्षक के परिजनों अपने विभाग एवं संकुल मे भी विधिवत अवगत कराया गया है। इसके बाद भी उक्त शिक्षक को ना तो आज तक शाला से हटाया गया। और ना ही कोई उचित कार्रवाई ही की गई । ना ही उनके स्थान पर दूसरा प्राथमिक शिक्षक ही रखा गया। परिणाम स्वरूप उक्त प्राइमरी शाला को मजबूरन प्रधानाध्यापक प्रेम सिंह के भरोसे चलाया जा रहा है। जबकि शैक्षणिक कार्य के अलावा भी प्रधानाध्यापक को अनेक ऑफिस एवं विभाग संबंधी कार्य भी करने होते हैं। अनेक ग्रामीणों ने जबाबदार विभागों के आला अधिकारियों से इस दिशा मे शीघ्र कदम उठाने की मांग की है।

सहमति से निर्णयः मीट मार्केट एकांत में शिफ्ट

बनवार। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के बलारपुर मुबार झरौली दौरे के दौरान ग्रामीणों ने बनवार ग्राम में सड़क किनारे खुले में मांस मछली बिक्री की शिकायत की गई थी जिसपर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जनपद सीईओ जबेरा डॉ आर पी पटेल को सड़क किनारे खुले में मांस मछली बिक्री पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके चलते आज ग्राम पंचायत बनवार में चौकी प्रभारी मनीष यादव पटवारी राजेश पटेल सरपंच प्रतिनिधि सुभाष अहिरवार रोजगार सहायक हरगोविंद शर्मा की मौजूदगी में मांस मछली बेचने वालों के बीच बैठक आयोजित की गई। जिसमें मांस मछली बिक्री करने वालों और प्रशासन के बीच आम सहमति से निर्णय लिया गया जब तक मांस मछली बिक्री के लिए अलग से मार्केट की व्यवस्था नहीं होती है तब तक बनवार सड़क किनारे से मांस मछली की दुकानें हटाकर अस्थाई रूप से श्मशान के पास मांस मछली मार्केट एकांत में शिफ्ट किया जाएगा। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि सुभाष अहिरवार ने बताया शीघ्र ही मांस मछली मार्केट के लिए अलग से जगह चिन्हित कर तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी।

फैक्ट्री में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो विरोध करेगी कांग्रेस

हरिभूमि न्यूज ▶▶ गैसाबाद

ग्राम की सप्रिंगवे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीमेंट फैक्ट्री मे यदि स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता है, शिक्षित बेरोजगारों को यदि कंपनी में नौकरी नहीं मिलती है। क्षेत्रीय मजदूरों को यदि कंपनी में मजदूरी कार्य नहीं दिया जाता है तो, कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। यह चेतावनी हटा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णगोपाल श्रीवास्तव, एवं ब्लॉक महामंत्री परम उपाध्याय द्वारा सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन को दी गई। कांग्रेस नेताओं ने फैक्ट्री प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी में अभी जो सिक्योरिटी गार्ड भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसमें अधिकांश दूसरे शहरों के लोगों की भर्ती की जा रही है जबकि हमारे क्षेत्रिय लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने फैक्ट्री प्रबंधन को आगाह किया है की फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर वर्ग आदि की नियुक्ति की जानी है। उसमें सर्वप्रथम हमारे ग्राम गैसाबाद एवं आसपास के गांव के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाए। यदि फैक्ट्री प्रबंधन कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में अपनी मनमानी करती है तो हम कांग्रेस जन फैक्ट्री प्रबंधन का विरोध करेंगे एवं अपने गांव एवं क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जन आंदोलन भी करेंगे जिसकी पूरी जवाबदेही सप्रिंगवे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन की होगी।

इनका कहना है

सन 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा गैसाबाद गांव में सीमेंट फैक्ट्री की सोगात इस उद्देश्य को लेकर दी गई थी की क्षेत्रीय लोगों को कम मिले और ग्रामीण अंचलों का विकास हो। यदि कंपनी में स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जाता है तो हम लोग कंपनी प्रबंधन का विरोध करेंगे।

सिंचित खेतों में धान की रोपाई का काम शुरू

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बनवार

जनपद के अधिकांश क्षेत्र में किसानों ने धान की नर्सरी कर लिए है लेकिन पानी की कमी के कारण नर्सरी के पौधों की रोपाई में परेशान है। लेकिन हिनौती आजम गांव के किसानों ने जून माह के प्रथम पखवाड़े में धान की नर्सरी तैयार कर ली थी। सिंचित खेतों में धान की रोपाई का काम शुरू कर दिया है। यहां के किसान धान की खेती के प्रति जागरूक और समय पर धान की रोपाई करके अच्छी पैदावार लेते है। किसान मलखान का कहना है धान की फसल पूर्णतया बारिश पर निर्भर होती और सिंचित क्षेत्र का फायदा यह होता है समय से धान की रोपाई होने धान के साथ साथ गेंहू उड़द की तीन तीन फसलें किसानों को मिल जाती है जिसमे बारिश के पहले पंप से धान की नर्सरी तैयार कर ली जाती है और जुलाई माह में धान की रोपाई का काम शुरू कर दिया जाता है जिसका फायदा यह होता है वारिश के तीन माह जुलाई अगस्त सितंबर मैं धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। रबी सीजन की बोनी भी नवंबर माह में समय पर बोनी हो जाती और गेंहू की फसल मार्च में आ जाती जिससे मार्च में ग्रीष्मकालीन मूंग उडद की बोनी हो जाती और बारिश के सीजन के पहले फसल आ जाती है जिससे समय से खेती करने से किसानों को तीन फसलों की अच्छी पैदावार मिल जाती है। जो जुलाई के आखिर य अगस्त में धान की रोपनी करते है। उनकी फसल नवंबर तक आती है और अक्टूबर माह में बारिश होना बंद हो जाती है। जिससे पानी के अभाव धान की फसल मार खा जाती और अच्छी पैदावारी नहीं मिल पाती है। वहीं दूसरी ओर रवि सीजन की फसलों की बोनी भी लेट हो जाती है। जिस समय पर बोनी नहीं होने से धान गेंहू की दोनों फसलें प्रभावित होती हैं। सिंचित क्षेत्र होने का फायदा उठाकर हमारे क्षेत्र के किसान जून में धान की नर्सरी तैयार कर लेते हैं और जुलाई में धान की रोपाई कार्य शुरू कर देते है। जिससे समय पर धान रोपाई होने से पैदावार भी अच्छी मिलती है और रवि सीजन की बोनी और कटाई समय पर हो जाने से किसानों को ग्रीष्मकालीन तीसरी फसल भी मिल जाती है।

प्रबंधकारिणी व सदस्यों की बैठक संपन्न

हरिभूमि न्यूज ▶▶ जबेरा

विद्या भारती महाकौशल प्रांत जबलपुर से जिला दमोह के सचिव लालजी राम पटेल के मार्गदर्शन में माधव शिक्षा प्रबंधकारिणी समिति एवं साधारण सभा के सदस्यों की बैठक संपन्न हुई । बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ हुआ इसके पश्चात समस्त पदाधिकारी का आचार्य दयाराम रैकवार एवं चक्रेश सिंह ठाकुर के द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस बैठक का मार्गदर्शन कर रहे जिला सचिव लालजी राम पटेल के द्वारा समिति के सभी सदस्यों को विद्यालय विकास एवं प्रवेश की योजना पर गहन चिंतन करते हुए विद्यालय के सफल संचालन का संकल्प दिलाया गया। जिसमें प्रबंधकारिणि समिति अध्यक्ष रूपेश सेन, व्यवस्थापक रवि शंकर बाजपेई कोषाध्यक्ष बेनी प्रसाद नामदेव सह व्यवस्थापक अरुण कुमार बाजपेई स्थाई सदस्य पूरन दास प्रजापति ,बलराम नामदेव ,प्रदीप जैन एवं गणेश प्रसाद झारिया साधारण सभा से बद्री प्रसाद खरे ,चतुर मरावी,मुन्नालाल सोनी विद्यालय प्राचार्य रमेश कुमार साहू लेखापाल विमल कुमार नामदेव सहित विद्यालय के समस्त आचार्यों की उपस्थिति रही।

वन अमले ने जंगल में अवैध कब्जाधारियों से जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त

हरिभूमि न्यूज ▶▶ हटा

अनुविभाग के रजपुरा परिक्षेत्र के ग्राम गर्रवा बीट में अवैध कब्जाधारियों द्वारा जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था और उस जमीन पर कब्जाधारियों द्वारा खेती का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था जिसकी जानकारी विभाग को मिलनें पर जिला वन मंडल अधिकारी के निर्देशन पर वन परिक्षेत्र अधिकारी ऋषि तिवारी के मार्गदर्शन में वन विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से वन भूमि पर कब्जा जमाकर खेती करनें वालो के खिलाफ जमीन को खाली करानें की कार्यवाही की गई। जानकारी के अनुसार रविवार को वन विभाग द्वारा अपनी टीम के साथ पहुंचकर गर्रवा बीट के कक्ष क्रमांक आरएफ/49 में हुए जंगल की भूमि पर अवैध कब्जा को सख्ती से हटाया गया एवं जिन कब्जाधारियों द्वारा जमीन पर टपरा बना लिए गये थे उनको वहां से हटाया गया। दरअसल गर्रवा बीट में करीब 20 हेक्टेयर वन भूमि पर जो वन माफिया कब्जाधारियों द्वारा जंगल की जमीन पर अपना हक जमाकर हरे भरे पेड़ो की कटाई कर जमीन को साफ-सुथरा बनाकर उसमें खेती करने का काम किया जा रहा था जहां विभाग द्वारा उस जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त कराया गया। वहीं जानकारी यह सामने आ रही है कि अवैध कब्जाधारी समीपस्थ ग्राम नारायणपुरा के बताए जा रहे है जो कार्यवाही की जानकारी लगते ही नदारद हो गये। इस दौरान डिप्टी रेंजर जयप्रकाश दुबे बीट गार्ड विपिन चौरसिया महिला बीट गार्ड रश्मि विश्वकर्मा मीना एवं वन विभाग के कर्मचारियों सहित पुलिस की मौजूदगी रही।

भारतीय दंड संहिता में हुआ बदलाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू

जबेरा। नागरिक सुरक्षाआपराधिक कानून में हुए बदलाव को लेकर आज थाना जबेरा में बैठक का आयोजन किया गया बैठक में सोमवार से लागू हुई भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अपराधिक प्रक्रिया संहिता के जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) हैं कानूनी रूप से अब फरियादी किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे साथ ही ई एफआईआर भी कर सकेंगे लेकिन फरियादी को तीन दिन में संबंधित थाने में पहुंचकर हस्ताक्षर करने होंगे। थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय ने नये कानून की जानकारी देते हुए बताया पुराना कानून 1860 में बनाया गया था अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 बन गई बन गई है पुराने कानून में 511 थी अब 378 है नए कानून में हुए बदलाव अब 15 साल के बच्चे और 60साल उम्र के बुजुर्गो के बयान पुलिस घर पर ही जाकर लेगी कोई भी व्यक्ति अपने ब्यान वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कहीं से भी दर्ज करा सकते हैं। बैठक के दौरान मिठ्ठू लाल सिंघई, डॉ हुक्मचंद जैन, गोविंद तिवारी,रानू नामदेव,नीरज जायसवाल, बंटी दुबे,सुदीप अवस्थी, सुशील चौधरी, पुलिस स्टाफ की उपस्थिति रही।

जिला जेल में कार्यक्रम संपन्न

दमोह। जिला जेल दमोह के परिसर मे आज 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नये अधिनियमित कानून अर्थात भारतिय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण बिन्दूओं, प्रावधानों एवं संशोधन पर प्रकाश डालने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम का उद्धेश्य जन सामान्य को नये कानून एवं कानून संशोधन की जानकारी प्रदान करना था, ताकि अपराध को कम किया जा सके। कार्यक्रम में मुकेश पाण्डेय, पंकज खरे, कपील सोनी, इरफान उसमानी, सी.पी. चक्रवर्ती, अर्पित पाण्डेय, सुनिल विद्यार्थी आदि अधिवक्तागणो ने नवीन कानून के संबंध में अपने-अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अधिवक्तागणों एवे आमजनों के साथसाथ जेल अधीक्षक सी.एल. प्रजापति, जेल शिक्षक ऋशिकांत शुक्ला एवं अन्य जेल स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के अंत में जेल अधीक्षक श्री प्रजापति ने आभार व्यक्त किया।

किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

सिंग्रामपुर। सिग्रामपुर सहित आसपास के ग्रामों वाटर लेवल मेंटेन करने व किसानों की सिंचाई के लिए ग्राम की महत्वपूर्ण सिंचाई योजना के अंतर्गल मुद्दतों पहले रेगयुरटेर डेम एवं नहरों निर्माण किया गया था। जिससे सिग्रामपुर सहसना धनेटा की लगभग 800 एकड़ किसानों कि जमीन को फसल की सिंचाई के लिएं पानी मिलता था लेकिन वर्षों पहले देखरेख के अभाव में रेगयुरटेर एवं नहर क्षति ग्रस्त हो चुकी है जिसकी मरम्मत अति आवश्यक है। करीब 25 वर्षों से कर किसानों को पानी की समस्या से जूझना पढ़ रहा है एवं क्षेत्र का जल स्तर तेजी से घटता चला जा रहा हैं किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से क्षति ग्रस्त रेगयुरटेर एवं नहर में सुधार कार्य की मांग की है इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी किसानों की उपस्थित रही।

लायंस क्लब ने आयोजित किया रक्तदान कार्यक्रम

दमोह। 1 जुलाई को डॉक्टर-डे एवं सी.ए.-डे पर लायंस क्लब द्वारा वृक्षारोपण सम्मान समारोह एवं रक्तदान का कार्यक्रम, सरस्वती शिक्षा विहार स्कूल केशव नगर दमोह में आयोजित किया गया। स्कूल परिसर में फलदार एवं सौंदर्य वाले बड़े-बड़े पौधों का रोपण अतिथियों ने किया। सरस्वती शिक्षा विहार स्कूल प्रबंधन से जुड़े डॉ. राजीव पांडे डॉ. सौरभ पालीवाल जिला चिकित्सालय से डॉ.राकेश राय डॉ.अमित प्रकाश जैन डॉ. मनीष संगतानी के साथ ही सीनियर डॉ. के.के. ताम्रकार,डॉ एस.के.खत्री, युवा डॉ.भानु प्रताप पटेल, डॉ. आभाष जैन,डॉ. मुकुलराज जैन का सम्मान लायंस क्लब दमोह एवं लायंस क्लब दमोह दमयंती के सदस्यों द्वारा किया गया। शहर के प्रतिष्ठित सी.ए.राहुल अग्रवाल का सम्मान सी.ए. डे के 75 वर्ष पूर्ण करने के साथ हुआ। रक्तदान करने वालों में ला. राकेश अग्रवाल, अभिषेक जैन, नरेंद्र बजाज, दीपक अग्रवाल ब्रजेन्द्र राठौर एवं विशेष आमंत्रित सी.ए. राहुल अग्रवाल एवं श्री नरेश खत्री द्वारा किया गया कार्यक्रम आयोजन में ला.निशांत चौरसिया की सक्रिय भूमिका रही।

नए आपराधिक कानून आज से लागू

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बनवार

पूरे भारत देश में तीन नए कानून को बना दिया गया है। जहां पर नए कानून बनने के बाद उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को समझने के लिए थाना चौकी पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जहां थाना प्रभारी नोहटा अरविंद सिंह बनवार चौकी प्रभारी मनीष यादव के नेतृत्व में बैठक आयोजन किया गया। जिसमें बने तीनों नए कानूनों के बारे थाना प्रभारी चौकी प्रभारी ने विस्तृत जानकारी दी।जिसमें आईपीसी के प्रावधानों को खत्म करने के बाद बी एन एस को शामिल किया है। इसके अलावा बी एन एस एस वा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी शामिल किया गया है। इन नए कानून को लेकर नोहटा हाई स्कूल में भी छात्र-छात्राओं को जानकारी दी गई आज नोहटा थाना व चौकी बनवार में बैठक का आयोजन किया गया था।जिसमे गणमान्य नागरिक मौजूद रहे हैं।

प्रयास संस्था ने आयोजित की जल संरक्षण संगोष्ठी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ दमोह

स्थानीय शासकीय स्व. ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में प्रयास पर्यावरण संस्था के तत्वावधान में ''जल संरक्षण संगोष्ठी'' का भव्य आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि एवं प्रमुख वक्ता के रूप में वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी लेखक व साहित्यकार राजीव शर्मा उपस्थित थे। विषिष्ट अतिथि रूप में नंदलाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार नारायण सिंह ठाकुर, नरेन्द्र जैन बजाज, नेमकुमार सराफ, डॉ. अनिल चौधरी तथा आमंत्रित अतिथियों में मनोहर काजल, महेन्द्र दुबे पत्रकार, श्रीमति सुसंस्कृति परिहार, रमेष कुमार व्यास, एम.एल. जैन प्राचार्य, श्री गुप्ता प्राचार्य टाईम्स कॉलेज श्री अरूण व्यास आदि थे। कार्यक्रम के प्रथम चरण में मंचासीन अतिथियों ने माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन किया। सरस्वती वंदना का गायन किया। सरस्वती वंदना के बाद शाखा अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, सचिव पी.के. जैन, कोषाध्यक्ष संतोष जैन हीरापुर, एल.पी. चौरसिया, महेन्द्र जैन, एम.एल. जैन, रामषंकर दुबे, रामसेवक सोनी, प्रषांत खरे, आर.बी. सिंह, प्रयागदत्त मिश्रा, विजय दुबे, गणेष खरे, श्रीमति रजनी जैन, संजीव जैन एडव्होकेट, बहादुर सिंह ठाकुर, संतोष जैन बनवार, पी.सी. शर्मा आदि संस्था सदस्यों ने मंचासीन अतिथियों का तिलक वंदन करते हुये बैज लगाकर स्वागत किया। प्रयास के सहसंगठक डॉ. आलोक सोनवलकर ने कार्यक्रम का संचालन करते हुये संस्था के प्रतिवेदन वाचन हेतु संगठक डॉ. एल.सी. जैन को आमंत्रित किया। कार्यक्रम के द्वितीय चरण को प्रारंभ करते हुये मुख्य वक्ता राजीव शर्मा ने बुन्देलखण्ड की विषेषता, बुन्देली भाषा, बुन्देली संस्कृति और बुन्देली व्यंजनों की विषेषता बताई और उन्हें अपनाने पर जोर दिया। वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुये उन्होंने भारतीय समाज पर अंग्रेजी के बढ़ते हुये प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सांस्कृतिक एवं भौगोलिक प्रलय को रोकने के लिये अद्भुत सूत्र दिये। वर्तमान युग में जल के गहराते हुये संकट पर प्रकाष डालते हुये उन्होंने कहा कि कुओं और पुराने जलस्त्रोतों को जीवनदान देने की आवष्यकता है। इसे उन्होंने जल क्रांति अभियान की संज्ञा दी। चर्चा को विस्तार देते हुये उन्होंने मोबाईल के अनावष्यक प्रयोग को व्यक्ति एवं समाज के लिये घातक बताया। उन्होंने कहा कि फुटबाल जैसे खर्चविहीन खेलों के प्रति बच्चों में जाग्रति पैदा करने की नितांत आवष्यकता है। वृक्षों का महत्व बताते हुये उन्होंने कहा कि नये पौधे लगाने के बजाए सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्षों को कटने से रोका जाना चाहिए। वृक्ष ही जल संकट, ग्लोबल वार्मिंग, आक्सीजन की घट रही मात्रा को संतुलित कर सकते हैं। इसी क्रम में नगर के वरिष्ठ पत्रकार नारायण सिंह ठाकुर ने भी अपने सारगर्भित विचार रखे। इस अवसर पर संस्था द्वारा अतिथियों को भेंटस्वरूप अपनी प्रकाषित स्मारिकाएँ दीं गईं। प्रमोद बड़कुल, मोहन राय, सी.के. जैन, ऋषि उपाध्याय ने कार्यक्रम में विषेष सहयोग दिया। अंत में आभार प्रदर्षन अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने किया। संपूर्ण कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. आलोक सोनवलकर ने किया।

खबर संक्षेप

आज पीएम आवास संबंधी समस्याएं सुनी जायेंगी

दमोह। प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र दमोह की पीएम आवास संबंधी समस्याओं की सुनवाई आज मंगलवार 2 जुलाई को नगरपालिका दमोह में की जायेगी। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा शहरी क्षेत्र दमोह के पीएम आवास संबंधी हितग्राही प्रातः 11 बजे से नगरपालिका कार्यालय दमोह पहुंचे, यहां उनकी पूरी सुनवाई की जायेगी। बाकी नगरीय निकायो (नगरपालिका-नगरपरिषद) में थीम आधारित जनसुवाई होगी।

आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याओं की सुनवाई आज

दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया आज 02 जुलाई 2024 को कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई की थीम आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याओं की सुनवाई रहेगी। उन्होंने कहा इसके लिए आवेदकों को आधार कार्ड और समग्र आईडी की फोटोकॉपी साथ में लाना होगी। इस थीम (विषय) के साथ - साथ सामान्य जन सुनवाई भी की जाएगी।

विद्युत पोल में आ रहे करेंट की चपेट में आने से मवेशी की मौत

हटा। बारिश के मौसम में विद्युत विभाग द्वारा जहां विद्युत पोल व केबिल के मेन्टेनेंस का राग अलापा जाता है वही इसी लापरवाही के चलते विद्युत पोल में आ रहे करेंट की चपेट में आनें से उक्त मवेशी की मौत हो गई जहां विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है।मामला नगर के गौरीशंकर वार्ड का सामने आया है जहां लगे विद्युत पोल के समीप लगी हरी घास को एक मवेशी (बैल)खा रहा था और वह विद्युत पोल के तारो से टकरा गया जिससे वह करेंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई वही मवेशी की मौत हो जानें के दो दिन तक मृत मवेशी वहीं पड़ा रहा जिससे वार्डवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिनकी शिकायत करने के बाद मृत मवेशी को उठाया गया।

तीन नये अधिनियमों को लेकर पुलिस ने किया जनसंवाद का आयोजन, एसपी ने दी विविध जानकारियों

अब किसी भी थाने में की जा सकेगी एफआईआर, नये कानून के अनुसार कार्यवाही न हो तो सूचना दें : एसपी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ दमोह

देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लेगी. भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम (BNS) लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रावधान लागू होंगे. महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इनमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी एवं कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे।

भारतीय न्याय संहिता लागू करने से इसमें हुए संशोधनों की जानकारी देने पटेरा पुलिस थाना प्रभारी अमित मिश्रा द्वारा नगर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, शासकीय अधिकारियों को आमंत्रित कर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दूसरे सत्र में दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी पटेरा पहुंचे जिन्होंने सर्व प्रथम भारतीय न्याय संहिता पर जानकारी दी। प्रमुख प्रमुख जानकारियां देते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि अब किसी भी अपराध की रिपोर्ट किसी भी पुलिस थाना में दर्ज हो सकेगी जो बाद में संबंधित थाना पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि इसमें मुख्य उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाया है। समय सीमा भी तय की गई है। एस पी श्री सोमवंशी ने उपस्थित जनों से कहा कि आप सभी पूरी जानकारी से अवगत हों एवम यदि आपको लगता है कि नए कानून के अनुसार कार्यवाही नहीं हो रही है तो तत्काल थाना प्रभारी को बताएं। महिलाओं व बच्चो के मामले में भी नए प्रावधान दिए गए है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की जानकारी भी दी।

थाना परिसर में वृक्षारोपण कर दिया संरक्षण का संदेश

एस पी ने थाना परिसर में दो पौधों का रोपण कर सभी से इस कार्य को प्राथमिकता से करने एवम पौधो को सुरक्षित व संरक्षित रखने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक के संदेश के बाद भरत पटेल ने पूरे परिसर में जहां पौधे रोपित किए गए वहां जाली लगाकर सुरक्षित करने की बात कही। पुलिस अधीक्षक महोदय ने पटेरा क्षेत्र में कानून व्यवस्था की जानकारी ली व यहां पुलिस स्टाफ के आवास हेतू कालोनी बनाने का प्रस्ताव पूरी जानकारी सहित भेजने के निर्देश दिये ताकि समय पर शासन के समक्ष फाइल पहुंचे व स्वीकृति ली जा सके। शीघ्र ही थाना भवन का विधिवत शुभारंभ पूजन पाठ करने के निर्देश थाना प्रभारी अमित मिश्रा को दिये। उन्होने कहा कि अमित मिश्रा को दिये। उन्होने कहा कि आज दिस दिनों में सभी थाना में खाली पड़ी भूमि पर पौधे रोपित करने कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व जनपद अध्यक्ष बद्री पटेल, पवन पालीवाल, राजा ताम्रकार, हाजी शमशुद्दीन पहलवान, सीएमओ श्री सोनी, विद्युत प्रभारी संजय जैन, परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि दुलीचंद अहिरवार, उपाध्यक्ष दीपक ताम्रकार, पुष्पेन्द्र सोनी, हरप्रसाद चौरसिया, नरेन्द्र बजाज पत्रकार, भरत पटेल, दिलीप पटेल, पं दयाशंकर चौबे, मुकेश गूजरे वीरेन्द्र ताम्रकार, राजू आचार्य, आनंद सिंह, गोविंद चौरसिया, विक्की, प्रकाश गुप्ता संजय पालीवाल, बलराम पटेल, शंकर तंतुवाय, डॉ सदाकत खान, मुन्ना अवधिया, अमर सींग, कन्नू सहित नगर के सभी जनप्रितिनिधि शामिल रहे। आभार अमित मिश्रा थाना प्रभारी ने माना। इस अवसर पर पुलिस थाना के उपनिरीक्षक विजय चौधरी, महेश उपाध्याय, लतीफ खान, प्रधान आरक्षक चंद्रकांत पांडे, सहित पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। पौधो की व्यवस्था नगर के रामबाबू गुप्ता के सुपुत्र रितिक गुप्ता द्वारा की गई।

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

प्रथम सत्र में थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने भारतीय न्याय संहिता के अनेक प्रावधानों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। पीड़ित को अधिक सुरक्षा देने तथा दुष्कर्म सहित अन्य अपराध के संबध में जांच को बढ़ावा देने पारदर्शिता के लिए पीड़ित का बयान ऑडियो-वीडियो मध्य के जरिए दर्ज किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह है अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले लिया है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं जबकि जो नई धाराएं और 39 उपधाराए जोड़ी है। इसके अलावा 36 धाराओं में समय सीमा तय की गई है वहीं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान है। इसकी पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे नए कानून में 24 प्रावधान बदले हैं। भारतीय दंड संहिता में 511धाराएं थी लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 368 रह गई है। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए हैं, 233 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई है। 63 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढाई है। 23 अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान है, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है।

अब एफआईआर दर्ज करने के पूर्व होगी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग

हटा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में लागू तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (**BNS**), भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (**BNSS**) एवं भारतीय साक्ष्य संहिता (**BSA**) विगत 01 जुलाई 2024 से अस्तित्व में आने से सोमवार को पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक दमोह के निर्देशानुसार एसडीओपी नितेश पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मनीष कुमार द्वारा नगर के अंबेडकर भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें थाना प्रभारी ने उपस्थित जनों को नए अधिनियमों से अवगत कराते हुए बताया कि हमारे देश व प्रदेश में नवीन आपराधिक अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं जिसमें हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, चोरी, लूट, डकैती, धोखाधड़ी आदि गंभीर वारदातों समेत अन्य सभी वारदातों के लिए नवीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जावेगी। उदाहरण के लिए आईपीसी में हत्या के लिए अभी तक धारा 302 लगाई जाती थी अब हत्या के लिए बीएनएस 2023 की धारा 103 (1) का इस्तेमाल किया जाएगा इसी तरह गैर इरादतन हत्या के लिए 105, 106 लगेगी, पहले उनके लिए क्रमशः 304 304 ए लगाई जाती थी। छेड़छाड़ में आप 354, 354 ए की जगह बीएनएस धारा 74,75, 76, 78 लगाई जावेगी इसी प्रकार बलात्कार के अलग-अलग प्रकृति के मामलों में64,64(2),65(1),65(2), 70(1), 70(2) लगेगी, आत्महत्या के लिए उकसाने पर 306की जगह **BNS** 106 लगेगी। इसी तरह सामान्य मारपीट से लेकर गंभीर मारपीट, साक्षी मिटाने की कोशिश, बलवा आदि समेत अन्य सभी वारदातों से जुड़ी विभिन्न धाराएं नए कानून में बदलाव किया गया, यही स्थिति सीआरपी की धाराओं के लिए रहेगी इसमें भी धाराओं के नंबर बदले गए हैं। थाना प्रभारी ने लोगों को बताया कि नई न्याय प्रणाली मैं यह सुधार पूरे भारत में एक निष्पक्ष आधुनिक और न्याय पूर्ण कानूनी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मुख्य प्रावधानों में जांच में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना जुर्माने में वृद्धि, एफआईआर और पीड़ित की सुरक्षा को व्यवस्थित करना, जीरो एफआईआर ओर ईएफआईआर का प्रावधान आदि विधियों के माध्यम से पीड़ित के बयान रिकॉर्डिंग शामिल है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड को साक्षी के रूप में मान्यता देना, डिजिटल साक्ष्य प्रमाणिकता नये भारत में रूपरेखा प्रदान करना, दस्तावेजों की विस्तारित परिभाषा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता शामिल है।

थाना परिसर में नये संशोधित भारतीय कानूनों के बारे मे बताया गया

हिण्डोरिया। स्थानीय हिण्डोरिया थाना परिसर में भारतीय कानूनों में किये गये कुछ संशोधनों को लेकर शांति समिति के सम्मानीय सदस्यों, गणमान्यजनों, संवेदनशील नागरिकों, जन- प्रतिनिधियों ,मीडिया साथियों आदि के साथ म. प्र. शासन एवं पुलिस विभाग के विशेष दिशा निर्देश पर अति आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया । बैठक का संचालन टीआई अमित गौतम ने किया। बैठक में एडवोकेट शरद कुमार प्यासी एवं एडवोकेट सूरज ताम्रकार द्वारा भारत की सरकार व्दारा अंग्रेज़ी शासनकाल से चले आ रहे रद्द कानूनों की जगह संशोधन कर बनाये गये नये कानूनों के संबंध में विस्तार से बताया। एवं आम जनमानस की शंकाओं- कुशंकाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया गया। बैठक में टीआई अमित गौतम ने बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860 , भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह है अब इसे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 संशोधित कर लागू किया गया है। एड- सूरज ताम्रकार ने ई-एफआईआर, 0- एफआईआर, हिट एण्ड रन प्रकरण, तलाशी की बीडीयो ग्राफी, समय सीमा मे मामलों के निराकरण, दहेज एक्ट, झूठी रिपोर्ट की जांच की मांग एवं जांच की समय सीमा, दया याचिका सहित अनेक छोटे बडे संशोधित नये कानूनों पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक मे हाजी नबाब खान, सुधांशु चौबे, हल्कू सिंह, तैय्यूब अली, लक्ष्मण पटेल, सुजात खान, एस.आई उमेश करोलिया, एएसआई मलखान सिंह ठाकुर,हबीब राजा चौहान, अन्नु राजपूत, गणेश सिंह, शेख असीम, कालूराम अहिरवार, अरविन्द चमन, होशियार चक्रवर्ती, मंजीत राज, नरेश साहू, पंच्चू ठाकुर, बबलू सिंह सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।

आरटीओ के खिलाफ बस यूनियन ने किया प्रदर्शन

दमोह। आरटीओ तानाशाही के विरोध में बस यूनियन मालिक सड़को पर उतरकर प्रदर्शन कर जाम के हालात निर्मित कर दिये। जानकारी लगते ही एसडीएम आर एल बागरी, सीएसपी अभिषेक तिवारी , यातायात प्रभारी दलबीर सिंह मार्को मौके पर पहुंचे व बस यूनियन के पदाधिकारियों को समझाईश देकर पुलिस द्वारा जाम खुलवाया गया। दरअसल जिला परिवहन अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर बस यूनियन में रोष का आलमहै। यूनियन की ओर से परमिट जारी न होने की बात रखी गई।

बसों की चेकिंग के दौरान बस की गई जप्त

बसों की चेकिंग में दमोह-जबलपुर मार्ग हथनी फॉरेस्ट नाका पर 12 बसे चैक की गई, जिसमें 9 बसों के चालान काटे गये। इस प्रकार कुल 17000 रुपए के चालान हुए। जिला परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी ने बताया एक बस को जप्त किया गया है, यह कार्रवाई निरंतरजारी रहेगी। उन्होंने बताया बिना फिटनेस सर्टीफिकेट के एक बस पाई गई और एक बिना परमिट के जप्त की गई।

नर्सिंग घोटाला बच्चों के भविष्य से खिलवाड़: रतनचंद जैन

दमोह। मध्यप्रदेश में हुए नर्सिंग कालेज घोटाले की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेसजनो ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतनचंद जैन ने कहा कि म.प्र. की भाजपा सरकार नर्सिंग घोटाले के अलावा कई विभागों मे भष्ट्राचार में सलिप्त है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को नैतिकता के आधार पर इस्थीपा देना चाहिए और घोटाले की जांच अविलंब कराई जाये। पूर्व विधायक अजय टंडन ने कहा कि होनहार युवाओं के भविष्य सवे खिलवाड़ किया जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं मे जमकर घोटाला किया जा रहा है भाजपा राज में खुलेआम भष्ट्राचार किया जा रहा है अधिकारी कर्मचारी मंत्री विधायक के बीच जमकर बदर बाट चल रही है। विजय बहादुर, रजनी ठाकुर, लक्ष्मण सींग, नितिन मिश्रा, वीरेन्द्र सिंह, भावना जैन, राजा रौतेला, पप्पू कसोटया, अंजली राय, गीता ठाकुर, रफीक खान, अमर सिंह, अनिल जैन, आशीष पटैल, अरूण मिश्रा, अरविन्द अवस्थी अमित नामदेव ने भी कहा कि हरी सब्जियाँ दाले एवं अन्य खाद्य वस्तुए के दिनोदिन दाम बढ़ रहे है। 100 रूपये में थैला भी नहीं भरता और भाजपाई विकास की बात करते है बसंत कुशवाहा, मदन सुमन, डी.पी. पटेल, अजय जाटव, पप्पू कुशवाहा, राजू बगीरा, संजय सैठ, संजीव अहिरवाल, मनमोहन मानक अहिरवाल, अमित पटेल, ए.के. चिश्ती, श्रीकांत पटेल, सादिक काजी, चंद्रभान सिंह सहित ज्ञापन देने वालों में अनेको कांग्रेसजनों की उपस्थिति रही।

जमीनी विवाद बढ़ा तो प्रशासन ने संभाला मोर्चा

सिंग्रामपुर। जबेरा थाना की सिग्रामपुर चौकी मुख्यालय दो पक्षों में जमीनी विवाद इतना बढ़ा गया मारपीट तक की नौबत आ गई जिसकी खबर पटवारी द्वारा पुलिस और तहसीलदार को दी गई खबर मिलते ही मौके पर सिग्रामपुर चौकी प्रभारी आलोक तिरपुढ़े के साथ तहसीलदार को पहुंचना पड़ा और दोनो पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया गया। दरअसल मामला सिग्रामपुर निवासी सिद्धांत जैन एवं सुमित जैन के बीच फेसिंग को लेकर विवाद हो गया था। जमीन का नाप करवाने की बात को विवाद उग्र होता जा रहा जिसकी खबर लगता ही प्रशासन सक्रिय हो गया और विवाद को शांत करवाने पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जबेरा तहसीलदार विवेक व्यास का कहना है विवाद कोई बड़ा नहीं था सिर्फ फेसिंग को लेकर था लेकिन विवाद की खबर लगते ही विवाद शांत करवाने जाना पड़ा।

कड़ी मशक्कत से पकड़कर तालाब में छोड़ा....

खजुरिया गांव में घुसा 6 फीट लंबा मगरमच्छ

हरिभूमि न्यूज ▶▶ तेंदूखेड़ा

तेजगढ़ थाना क्षेत्र की इमलिया चौकी के खजुरिया गांव में सोमवार की दरमियान रात करीब 2 बजे के आसपास एक मगरमच्छ को देखा गया जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना इमलिया चौकी प्रभारी राकेश पाठक को दी गई। जहां सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और ग्रामवासियों को मगरमच्छ से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही चौकी प्रभारी राकेश पाठक द्वारा मगरमच्छ की सूचना दमोह वन मंडल अधिकारी और वन अमले को दी गई। जहां एक घंटे के बीच दमोह से वन अमले की टीम देर रात 3 बजे खजुरिया गांव पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने के प्रयास किए गए। लेकिन देर रात तक मगरमच्छ को पकड़ने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जहां सोमवार की सुबह 6 बजे मगरमच्छ को पकड़ा गया और पिंजरे में डालकर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के सिग्रामपुर के तालाब मे सुरक्षित छोड़ा गया है। इमलिया चौकी प्रभारी राकेश पाठक ने बताया कि खजुरिया गांव में देर रात एक मगरमच्छ की सूचना मिली थी। जहां मौके पर पहुंचा तो मगरमच्छ पहले यहां पर घूमता रहा उसके बाद वह एक वाहन के पास आकर शांत बैठ गया मगरमच्छ करीब 6 फीट का लंबा था। जिसने भी देखा वो चिलाते हुए लोगों के पास भागे मगरमच्छ की खबर सुनकर गांव के दर्जनों लोग एकत्रित हो गए। पहली बार इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर गांव के लोग दहशत में आ गए। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे एक बड़े पिंजरे में बंद किया और फिर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजा पटना गांव के पीछे सदधरू डैम बना है, जिसमें काफी पानी भर गया है, तो हो सकता है कि मगरमच्छ उसी डेम से निकलकर गांव में आ गया होगा। उसकी लंबाई करीब 6 फीट बताई गई है।

सुरक्षा श्रमिक को एक साल से नहीं मिला मानदेय

हरिभूमि न्यूज ▶▶ तेंदूखेड़ा

दमोह जिले के तेजगढ़ वन परिक्षेत्र में 18 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे सुरक्षा श्रमिक को एक साल से मानदेय नहीं मिला है। जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। इस बात की शिकायत कलेक्टर से भी की गई,लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला। जबकि इस कर्मचारी की पूरी संपत्ति वन विभाग के एक मामले में बिक गई है।

जेल गया और केस में बिक गई जमीन

गोरखा निवासी हल्ले ठाकुर ने बताया कि वह वर्ष 2001 से वन विभाग के वन परिक्षेत्र तेजगढ़ में सुरक्षा श्रमिक के रूप में अपनी सेवाएं देता आ रहा है। सेवाओं के बदले उसे प्रतिमाह पांच हजार रुपया मासिक मिलता था जिससे वह अपना और परिवार का भरण-पोषण करता था। इस बीच वन विभाग की कार्यवाई के दौरान एक आपराधिक प्रकरण पुलिस में दर्ज हुआ था। जिसमें छह माह वह बीटगार्ड के साथ जेल में रहा। छह साल केस लड़ा जिसमें वह निर्दोष साबित हुआ, लेकिन उस केस में उसकी पूरी जमीन जायजात बिक गई। सुरक्षा श्रमिक के रूप में सेवाएं दे रहा था,लेकिन पिछले एक वर्ष से उसको मानदेय नही मिला। इसके लिए उसने कलेक्टर से गुहार लगाई है क्योंकि उस थोड़ी से बेतन से उसकी तीन बेटियों और तीन बेटों के साथ पति पत्नी का भरण पोषण होता था।

बीटगार्ड मांग रहा पैसे

हल्ले ठाकुर ने बीटगार्ड पर वेतन दिलाने के बदले 30 हजार रूपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। हल्ले ने बताया कि तेजगढ़ वन परिक्षेत्र कि पटी वीट में वह सुरक्षा श्रमिक के रूप में सेवाएं दे रहा था। पिछले वर्ष वहां से प्लांटेशन का तार चोरी चला गया था। अधिकारियों ने वीटगार्ड और डिप्टी रेंजर को उस समय दोषी माना था बाद में तार लग गया और मामला शांत हो गया था, लेकिन वीटगार्ड ने उस समय मुझे अलग कर दिया था फिर में दमोह वन मंडल अधिकारी के पास गया और पूरी हकीकत बताई तो उनके निर्देश पर मुझे पुनः रखा गया, लेकिन सेवाओं के दौरान मुझे एक साल से बेतन नही मिली। जिसके लिए मेने जून माह में दमोह कलेक्टर की जनसुनाई में जाकर वेतन दिलाने की मांग की थी। उसके बाद भी बेतन नही मिला। हल्ले ठाकुर ने आरोप लगाया कि रेंजर कह रहे हैं की यदि वीटगार्ड आपका बाउचर बना दे तो में बेतन निकाल दूंगा। वहीं जब में वीटगार्ड के पास पहुंचा तो वह बेतन निकालने के बदले तीस हजार कि मांग कर रहा है। सुरक्षा श्रमिक द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर मोहरा बीट में पदस्थ वीटगार्ड ललित सुमन का कहना है सुरक्षा श्रमिकों का बेतन रेंजर द्वारा निकाला जाता है और उन्ही के निर्देश पर जुलाई से हल्ले ठाकुर को लगाया गया था। मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार है क्योंकि सभी सुरक्षा श्रमिकों का वेतन रेंजर द्वारा ही निकाला जाता है और वह किस समिति से निकाल रहे हैं। उसकी मुझे जानकारी नही है।